

अति अल्पकालीन विशेष निविदा सूचना

समस्त स्थानीय कैटर्स एवं टेण्ट मालिकान/प्रबन्धक व लाइट व्यवस्थाओं हेतु इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत जनपद सम्भल में दिनांक 14.11.19 को लगभग 250 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाना प्रस्तावित है (जोड़ों की संख्या घट-बढ़ सकती है), उक्त कार्यक्रम में जलपान, भोजन, साउण्ड, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, पण्डाल की फूलों व गुब्बारों द्वारा सजावट एवं विवाह की सम्पूर्ण व्यवस्था (वेदी, पुरोहित, विवाह सामग्री, पगड़ी, जयमाला आदि) हेतु अंकन रू 5,000/- (जी.एस.टी. सहित) प्रति जोड़ा की दर व टेण्ट व्यवस्था (क्राकरी व्यवस्था, स्टेज, लाइट आदि) समस्त व्यवस्थाओं हेतु अंकन रू 1,000/- (जी.एस.टी. सहित) प्रति जोड़ा की दर से भुगतान किया जायेगा। उक्त व्यवस्थाओं की मोहरबन्द निविदाएं (अंकन 15.00 लाख दोनों कार्यों हेतु जी.एस.टी. सहित) दिनांक 07.11.19 को समय 01:00 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत, सम्भल के सभागार (निकट बहजोई पब्लिक स्कूल बहजोई) में आमंत्रित की जाती है, जो तद्दिनांक को निविदा समिति के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। निविदा सम्बन्धी शर्तों एवं अभिलेखों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय एवं <https://sambhal.nic.in> पोर्टल पर देखी व पढ़ी जा सकती हैं।



अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सम्भल।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मा० अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत, सम्भल।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, सम्भल।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सम्भल के पत्र संख्या 2052 दिनांक 21.10.2019 के सन्दर्भ में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सम्भल (बहजोई) की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त सूचना (मय कार्य विवरण सहित) को जनपद की बेवसाईट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 5- जिला समाज कल्याण अधिकारी, सम्भल।
- 6- विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण/अमर उजाला" बहजोई को इस आशय के साथ कि वह उपरोक्त विज्ञापित एक बार कम से कम स्थान में लघुतम अक्षरों (07 फाण्ट में) में प्रकाशित कर जिला सूचना अधिकारी, सम्भल से दरें प्रमाणित करा कर अपना बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 7- निविदा समिति, जिला पंचायत, सम्भल को तत्समय उपस्थित रहने हेतु।
- 8- नाजिर सदर कलेक्ट्रेट, बहजोई/नाजिर, जिला पंचायत, सम्भल।



अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सम्भल।

सामूहिक विवाह समारोह जनपद सम्मल (दिनांक 14.11.2019)

कार्य का पूर्ण विवरण

टैण्ट व्यवस्था:-

- 1- पण्डाल कवर्ड (180'x150')
- 2- कुर्सी (2000)
- 3- स्टैज एक (जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों मय 10 सौफा, सैन्ट्रल टेबिल एवं 20 कुर्सी स्टील पाईप मय कवर), स्टैज, (1) सांस्कृतिक प्रोग्राम हेतु
- 4- शादी मण्डप (80) + (01 मुख्य पुरोहित)
- 5- दो ओपन पण्डाल (90'x60') लन्च हेतु (पुरुष/महिला)
- 6- पण्डाल सफेद (कवर्ड- 30'x45' मय राउन्ड टेबिल एवं चैयर)
- 7- कवर्ड पण्डाल (30'x45' मय चैयर + 15'x45' पण्डाल मय पर्दा पार्टीशन) मुस्लिम शादी हेतु
- 8- 02 तखत मय विछात शहनाई वादक हेतु व 02 तखत मय विछात मुख्य पुरोहित हेतु
- 9- 100 मेज (मय कवर्ड), 250 गद्दे (मय बिछात), 100 भगोने (मय ढक्कन), 40 परात (सिल्वर),
- 10- 10 जग, 10 ट्रे, 5000 प्लेट सादा, 500 प्लेट बोन चाईना, 4 कढ़ाही बड़ी, 30 ढोंगे हॉट
- 11- प्रकाश व्यवस्था जनरेटर द्वारा मय ईंधन

- 1- हार (जयमाल) 500+ गुलाब की कली 20 + पण्डाल की सजावट
- 2- पगड़ी 250 लाल वर हेतु
- 3- पगड़ी 50 गुलाबी अधिकारियों/जनप्रतिनिधि हेतु
- 4- साउण्ड व्यवस्था मय 8 सेट मार्कि, 10 सुराही, 4 कालम
- 5- फोटोग्राफी/विडियोग्राफी व्यवस्था (03 विडियोग्राफर, 03 फोटोग्राफर, 01 ड्रोन कैमरा)
- 6- पीतल बैण्ड (12 कारीगर)

भोजन व्यवस्था:- पांच सौ व्यक्तियों हेतु


- 1- मटर पनीर
- 2- छोले
- 3- मिक्स वैज
- 4- रायता बूँदी
- 5- पूड़ी
- 6- पुलाओ
- 7- तन्दूरी नान, मिस्सी रोटी
- 8- पापड़
- 9- सलाद
- 10- गुलाब जामुन
- 11- पानी 03 पेट्टी बिस्लरी (एक लीटर)
- 12- पानी 25 पेट्टी बिस्लरी (200 मि०ली०)
- 13- कॉफी (300 व्यक्तियों हेतु)
- 14- छुआरे (मुस्लिम शादी हेतु)

भोजन व्यवस्था:- पांच हजार व्यक्तियों हेतु

- 1- मटर पनीर
- 2- छोले
- 3- काशीफल मेवा वाला
- 4- रायता बूँदी
- 5- पूड़ी
- 6- पुलाओ
- 7- पापड़
- 8- सलाद
- 09- गुलाब जामुन
- 10- पानी 100 आर०ओ० (20 लीटर)
- 11- चाय

मण्डप व्यवस्था:-

- 1- सामग्री, आम लकड़ी, चावल, सुपारी, रोली, पान, कपूर, देशी घी, हल्दी पाउडर, 80 पात्र सामग्री हेतु, 80 पात्र घी हेतु, 80 पात्र जल हेतु मय चम्मच, बताशे, दोनें, कलावा, सिन्दूर (पुरोहित के अनुसार अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराना होगा। माचिस 20 पैकेट
- 2- वेदी 81
- 3- 250 पगड़ी वर हेतु/50 पगड़ी अधिकारी हेतु


 अपर मुख्य अधिकारी,
 जिला पंचायत, सम्मल